संख्या-4/2018/1204/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 31 मई, 2018**

विषय:- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), हरदोई जॉच आख्या पर अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र दिनांक 27.05.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), हरदोई में दिनांक 27.05.2018 को किये गये निरीक्षण की जॉच आख्या के संबंध में है।

2- प्रश्नगत प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता तथा आपकी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये जनपद-लखीमपुर खीरी में पी0पी0पी0 माडल पर एक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) किराये पर संचालित किये जाने एवं जनपद-बाराबंकी के विभागीय भवन में पी0पी0पी0 माडल पर सम्प्रेक्षण गृह संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), हरदोई में 04 टॉयलेट, 04 बाथरूम का निर्माण व चाहरदीवारी को सुदृढ़ एवं ऊंची किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी, हरदोई/लखीमपुर खीरी/सीतापुर/बाराबंकी।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in